संख्या-27/2018/511/सैंतीस-2-2018-1(41)/05

प्रेषक,

डॉ0 सुधीर एम. बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
(अंकित विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-22 मार्च, 2018

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-347/सा0-1/एक्स-120(187)/प.चि.स्था./2017-18, दिनांक-30.01.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-03-पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.) के मानक मद 24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष 01 पशुचिकित्सालय (आवासीय+अनावासीय) की वर्तमान में आंकलित मानकीकृत लागत रू0-84.04 लाख के सापेक्ष 50 प्रतिशत अर्थात् रू0-42.02 लाख प्रति पशुचिकित्सालय की दर से निम्नलिखित 12 पशुचिकित्सालयों का निर्माण उनके सम्मुख अंकित कार्यदायी संस्था से कराये जाने हेतु प्रथम किश्त के रूप में कुल रू0-504.24 लाख (रूपये पाँच करोड़ चार लाख चौबीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र0	जनपद का नाम	प्रस्तावित स्थल/ग्राम	स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	फिरोजाबाद	ग्राम पंचायत इटाहरी	42.02
2	फिरोजाबाद	ग्राम-फरिहा, विकासखण्ड खेरगढ़	42.02
3	आगरा	ग्राम चावली, विकासखण्ड एतमादपुर	42.02
4	चन्दौली	ग्राम माधोपुर, विकासखण्ड थानापुर	42.02
5	अम्बेडकर नगर	ग्राम मखदूम सराय, विकासखण्ड टाण्डा	42.02
6	बांदा	ग्राम पंचायत जबरापुर, विकासखण्ड नरैनी	42.02
7	बांदा	पशु सेवा केन्द्र नगर पंचायत ओरन को उच्चीकृत कर पशुचिकित्सालय की स्थापना	42.02
8	चित्रकूट	ग्राम पंचायत रूखमाखुर्द, विकासखण्ड मानिकपुर	42.02
9	चित्रकूट	ग्राम धुरेटनपुर	42.02
10	देवरिया	पडरी बाजार रामपुर कारखाना	42.02
11	औरैया	ग्राम पंचायत उमरी	42.02
12	औरैया	ग्राम सौधेमऊ	42.02
योग-			**504.24**

(रूपये पाँच करोड़ चार लाख चौबीस हजार मात्र)

1. उपरोक्तानुसार स्वीकृत पशुचिकित्सालयों के निर्माण कार्य हेतु एतद्द्वारा "उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड)" को कार्यदायी संस्था नामित किया जाता है।
2. चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 की जिला योजनाओं के लिये जनपदवार परिव्यय निर्धारित होने के उपरान्त जारी की गयी स्वीकृतियों को आवंटित परिव्यय में समायोजित कराते हुए यथावश्यकता जिला योजना समिति का कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये, यह सुनिश्चित किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी बैंक/डाकघर/पी.एल.ए. में नहीं रखा जायेगा।
4. स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/मानकों के अधीन किया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को धनराशि आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
6. कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्ता पूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा समय-समय पर स्थलीय अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।
7. प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियाँ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा।
8. प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता का होगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाये।
9. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।
10. स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-03-पशुचिकित्सालयों का निर्माण (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03.08.2017 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(डॉ0 सुधीर एम. बोबडे)
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0सं0-27/2018/511(1)/सैंतीस-2-2018- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3. वित्त नियंत्रक/संयुक्त निदेशक (रो.नि.), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैकफेड), गोमती नगर, लखनऊ।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी/सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
6. निजी सचिव, मा0 पशुधन मंत्री जी, उ0प्र0 सरकार।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 प्रहलाद बरनवाल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in